न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट भजेडा)

वाद संख्या :– 03/106/2018

1. कामदार पुत्र मेदा जाति बैरवा निवासी दुब्बी तहसील राजगढ – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ – अप्रार्थी

धारा 128 आर.टी. एक्ट

दिनांक 28.06.2018

आज पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भजेडा पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 876/1.25 है. वाके ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी की पैमाइश दिनांक 11.06.2016 को जरिये तहसीलदार राजगढ आवेदन प्रस्तुत कर करायी जा चुकी है। अब प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी की पत्थरगढी करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। आज कैम्प भजेडा के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी कोई आपत्ति पेश नहीं की परन्तु उनके द्वारा अवगत कराया कि मौके पर निशानात कायम करने पर विवाद की सम्भावना है इसलिए उच्चाधिकारियों व पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी किया जाना सम्भव है। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 43 वाके दुब्बी के अंकित इन्द्राज से आराजी विवादित का प्रार्थी खातेदार होना साबित है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 आर.टी. एक्ट हाल आराजी खसरा नम्बर 876/1.25 है. वाके ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिए जाते हैं कि वो पक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर आराजी की पुनः पैमाईश कर अपनी उपस्थिति में पत्थरगढी कराने की कार्यवाही कर अवगत करायें तथा आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार पुलिस इमदाद का सहयोग ले लिया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 कैम्प कोर्ट भजेडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट भजेडा)